

अनुच्छेद 370 को नरिस्त करने की 5वीं वर्षगाँठ

प्रलिस के लयि:

[अनुच्छेद 370 और 35A, सर्वोच्च नयायालय, वशिष दरजा, जममू और कश्मीर पुनरगतन अधनियिम, 2019, प्रधानमंतरी वकिस पैकेज \(PMDP\), औद्योगकि वकिस योजना \(IDS\)](#)

मेन्स के लयि:

[अनुच्छेद 370](#), सर्वोच्च नयायालय का फैसला, अनुच्छेद 370 को हटाने के पीछे के कारण, अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रभाव

[स्रोत: द हद्वि](#)

चरचा में कयों

हाल ही में जममू-कश्मीर को वशिष दरजा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पाँचवीं वर्षगाँठ मनाई गई। 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को नरिस्त कर दया था।

अनुच्छेद 370 क्या था?

■ अनुच्छेद 370:

- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 370 के तहत जममू और कश्मीर को वशिष दरजा दया गया था।
- इसका मसौदा भारतीय संवधान सभा के सदस्य एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा तयार कया गया था और इसे वर्ष 1949 में एक 'अस्थायी उपबंध' के रूप में जोड़ा गया था।
- अनुच्छेद 370 जममू-कश्मीर को वशिष अधिकार देता था। इसने राज्य को अपना संवधान एवं ध्वज रखने के साथ ही रक्षा, वदिशी मामले एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वायत्तता रखने की अनुमति दी।
- इसके तहत भारतीय संसद जममू-कश्मीर के मामले में सरिफ तीन क्षेत्रों- रक्षा, वदिश मामले और संचार के लयि कानून बना सकती थी।
- यह प्रावधान वलिय पत्र (Instrument of Accession) की शर्तों पर आधारित था, जसि परपाकस्तान के आक्रमण के बाद 1947 में जममू और कश्मीर के शासक हरसिंह ने हस्ताक्षर कये थे।

■ अनुच्छेद 370 का नरिसन:

- राष्ट्रपति का आदेश (Presidential Order): वर्ष 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने एक प्रावधान पेश करते हुए जममू और कश्मीर की संवधान सभा को 'जममू और कश्मीर की वधान सभा' के रूप में नया अर्थ प्रदान कया।
 - अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लयि राष्ट्रपति शासन के माध्यम से वधानसभा की शक्तियों को ग्रहण कर लया।
- संसद में संकल्प: संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 5 और 6 अगस्त 2019 को समवर्ती संकल्प पारित कये गए।
 - इन संकल्पों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को भी रद्द कर दया और उन्हें नए प्रावधानों से प्रतस्थापित कया।
- जममू और कश्मीर पुनरगतन अधनियिम: जममू और कश्मीर पुनरगतन अधनियिम 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित कया गया। इस अधनियिम ने जममू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- 'जममू और कश्मीर' तथा 'लद्दाख' में वभाजित कर दया।

■ अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च नयायालय का फैसला:

- दिसंबर 2023 में सर्वोच्च नयायालय ने सर्वसम्मति से केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को नरिस्त करने के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया तथा राष्ट्रपति के दो आदेशों को वैध ठहराया, जसिने भारतीय संवधान को जममू और कश्मीर पर लागू करने को बढ़ा दया एवं अनुच्छेद 370 को नषिकरयि कर दया।

जममू और कश्मीर पुनरगतन अधनियिम, 2019

- इसने जम्मू और कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में वभाजित कर दिया।
- इसने अनुच्छेद 370 को नरिस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक वशिष्टि दरजा प्रदान किया था।
- लेह और कारगलि ज़िले लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में शामिल कर दिए गए, जबकि शेष क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बन गए।
- पाँच लोकसभा सीटें जम्मू-कश्मीर को बरकरार रखी गईं तथा एक सीट लद्दाख को स्थानांतरित कर दी गई।
- **वधानमंडल:** केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जनजात तथा अनुसूचित जातियों के लोगों की जनसंख्या का अनुपात बरकरार रखने के लिये वधानसभा में सीटें आरक्षित रहेंगी।
 - यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को उचित ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं है, तो उपराज्यपाल वधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये दो महिला सदस्यों को नामित कर सकते हैं।
 - नरिवाचित वधानसभा 5 वर्ष के लिये होगी तथा उपराज्यपाल प्रत्येक छह माह में एक बार वधानसभा सत्र को बुलाएंगे।
 - वधान सभा को भारतीय संविधान की राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले से संबंधित जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिये कानून पारित करने का अधिकार है, सविय "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के।
 - समवर्ती सूची में नरिदष्टि कोई भी मामला भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। इसके अलावा, संसद के पास जम्मू कश्मीर और उसके केंद्र शासित प्रदेश के लिये कानून बनाने का नरिणय लेने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय (SC) का नरिणय

- संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को नरिस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्र्गठित किया गया एवं इसके वशिषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर संप्रभु नहीं है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर संविधान और अनुच्छेद 370 दोनों में कहा गया है कि राज्य को वलिय समझौते के माध्यम से अपनी संप्रभुता का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है।
 - SC ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था, क्योंकि इसे संविधान के भाग XXI में रखा गया था। वलिय के दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, "पूरी तरह से J&K पर लागू होता है।
 - SC ने सहमत व्यक्त की किराष्टरपति राज्य वधानसभा को भंग करने सहित अपरविरतनीय परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये शक्तियाँ न्यायिक और संवधानिक जाँच के अधीन हैं।
 - न्यायालय ने माना कि J&K का संविधान नषिकरयि है क्योंकि भारतीय संविधान अब पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है।

अनुच्छेद 370 को नरिस्त करने की आवश्यकता क्यों थी?

- एकीकरण और विकास: संसाधनों, बुनियादी ढाँचे के विकास और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुँच को सक्षम करने तथा क्षेत्र को शेष भारत के साथ करने हेतु।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत सरकार द्वारा बेहतर नरियंत्रण और सख्त सुरक्षा उपायों के माध्यम से क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद वशिधी प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु।
- भेदभाव को समाप्त करना: भारतीय कानूनों के तहत महिलाओं, दलितों और अन्य हाशिये पर स्थिति समूहों के लिये समान अधिकार एवं अवसर सुनिश्चित करने के लिये, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले।
- कानूनी एकरूपता: पूरे भारत में एक समान कानून लागू करके कानूनी भ्रम और असमानताओं को समाप्त करने के लिये जिससे सभी नागरिकों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित हो सकें।
- जनसांख्यिकीय परिवर्तन: बाह्य नविश को प्रोत्साहित कर क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर करने के साधन के रूप में वकिसति करने के लिये, हालाँकि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों तथा संपत्तिके अधिकारों के संबंध में भी चिंताएँ वदियमान रही।
- राजनीतिक स्थिरता: इस कदम का उद्देश्य एक स्थिर राजनीतिक माहौल को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को फरि से स्थापित करना और स्थानीय शासन में सुधार करना था।

अनुच्छेद 370 के नरिस्तीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है?

- कानूनों में एकरूपता:
 - नविस कानूनों में बदलाव: अप्रैल 2020 में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिये नविस खंड पेश किया, जिसमें नविस और भर्ती नयियों को फरि से परिभाषित किया गया। इससे कोई भी व्यक्ती जो जम्मू-कश्मीर में 15 वर्ष से रह रहा है या जिसने 7 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की है और जम्मू-कश्मीर में कक्षा 10वीं/12वीं की परीक्षा दी है, वह पहले से जारी स्थायी नविसी प्रमाणपत्रों की जगह अधविस प्रमाण पत्र के लिये पात्र हो गया।
 - भूमिकानूनों में बदलाव: सरकार ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में 14 भूमिकानूनों में संशोधन किया, जिनमें से 12 को नरिस्त कर दिया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर भूमि अलगाव अधनियम, 1938 और बगि लैंडेड एस्टेट्स एबोलशिन एक्ट, 1950 शामिल हैं, जिसने गैर-स्थायी नविसियों को अलग करके स्थायी नविसियों के लिये भूमि जोत की रक्षा की थी।
 - हाल ही में, जम्मू-कश्मीर (J&K) सरकार ने पश्चिमी पाकसितान शरणार्थियों (WPR) और वर्ष 1965 के भारत-पाकसितान युद्ध के दौरान वसिथापित व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किये।
 - भारतीय न्याय संहिता (BNS) (जिसि पहले IPC कहा जाता था) लागू हुई: जम्मू-कश्मीर का वशिष दरजा नरिस्त होने के साथ ही सभी


केंद्रीय कानून प्रासंगिक हो गए और राज्य का संविधान अप्रचलित हो गया।

- **रणवीर दंड संहिता** को **IPC (अब BNS)** से प्रतस्थापित कर दिया गया तथा जम्मू-कश्मीर में अभियोजन शाखा को कार्यकारी पुलिस से अलग कर दिया गया।

◦ **राज्य जाँच एजेंसी (SIA) की स्थापना:** नवंबर 2021 में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद से संबंधित मामलों की त्वरित और प्रभावी जाँच एवं अभियोजन के लिये **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)** तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु एक विशेष एजेंसी के रूप में **राज्य जाँच एजेंसी (SIA)** की स्थापना की।

- **हिसा में कमी:** अनुच्छेद 370 के नरिस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में **आतंकवादी गतिविधियों**, स्थानीय उग्रवादियों की भर्ती और आतंकवादी हत्याओं में उल्लेखनीय **कमी आई है** तथा पछिले पाँच वर्षों में पथराव, अलगाववादी हड़ताल व हसिक वरिध प्रदर्शन लगभग समाप्त हो गए हैं।

//



*Up to July 21

SOURCE: UT of J&K



- **नवीन भागीदारी:** जम्मू-कश्मीर ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 वर्षों में अपना सबसेअधिक मतदाता मतदान दर्ज किया, जिसमें कश्मीर घाटी में वर्ष 2019 की तुलना में 30 अंकों की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव अनुच्छेद 370 के नरिसत् होने के बादकेंद्रशासति प्रदेश में पहला बड़ा चुनाव था।
- इस क्षेत्र में पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई, जिसने वर्ष 2023 में 21.1 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।
- इस क्षेत्र में पर्यटन में असाधारण वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023 में 21.1 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। **कोवडि-19** और अनुच्छेद 370 के नरिसत् होने के बाद **पर्यटन में वृद्धि हुई**, जिसके और बढ़ने की उम्मीद है।
- **व्यापार और नविश:** वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के नरिसत् होने के बाद से जम्मू-कश्मीर ने विभिन्न क्षेत्रों में **5,656 करोड़ रुपए** का नविश आकर्षित किया।
 - फरवरी 2021 में शुरू की गई **औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना** ने वर्ष 2020-21 में 310 नविश, 2021-22 में 175 और 2022-23 में 1,074 नविश को बढ़ावा दिया।
 - लेफ्टनैंट गवर्नर ने बताया कि दो वर्षों के भीतर **66,000 करोड़ रुपए के नजी नविश प्रस्ताव** आए।
- **बेहतर बुनियादी अवसंरचना:** सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बुनियादी अवसंरचना के विकास में भी महत्वपूर्ण नविश किया है। इसमें **नई सड़कों, पुलों, सुरंगों और वदियुत लाइनों के निर्माण** जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं।
 - इन सुधारों से लोगों के लिये क्षेत्र में यात्रा करना और व्यापार करना आसान हो गया है।

अनुच्छेद 370 के नरिसत् होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में क्या नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई?

- **राजनीतिक अस्थिरता और शासन संबंधी मुद्दे:** 500 से अधिक राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी और संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध के कारण शासन में शुन्यता उत्पन्न हो गई तथा स्थानीय अलगाव बढ़ गया।
- **सुरक्षा चिंताएँ और उग्रवाद:** उग्रवादी गतिविधियों में पुनरुत्थान के कारण अधिक भर्ती हुई और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ों व नागरिक हादसों की संख्या में वृद्धि हुई।
 - **उदाहरण:** हाल ही में जम्मू में **भारतीय सेना और तीर्थयात्रियों के काफिले पर आतंकवादी हमला**।
 - जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का नया रुझान **स्थानीय आतंकवादियों की ओर झुकाव, आधुनिक तकनीक का बढ़ता प्रयोग तथा पूर्वी लद्दाख में सैन्य तैनाती** स्थानीय खुफिया तंत्र का कमजोर होना दर्शाता है।
- **सामाजिक-आर्थिक व्यवधान:** लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकुचन हुआ, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में 2020 में 80% से अधिक की गरिबत आई, जिससे बेरोजगारी और युवाओं में असंतोष बढ़ा।
- **मानवाधिकार उल्लंघन:** बड़ी संख्या में लोगों को हरिसत में लिये जाने, सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग तथा अभिव्यक्तकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले सामने आए, जिससे स्थानीय स्तर पर आक्रोश बढ़ा।
- **लद्दाख में प्रशासनिक चुनौतियाँ:** विभाजन के कारण लद्दाख में प्रशासनिक समस्याएँ उत्पन्न हुई, जिसमें अपर्याप्त अवसंरचना और शासन व्यवस्था शामिल है। **लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद** विकास में **अधिक स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण** पाने के लिये **छठी अनुसूची** के तहत शामिल किये जाने तथा पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की माँग कर रही है।
- **सांस्कृतिक और पहचान संबंधी चिंताएँ:** बाहरी लोगों के आने से **सांस्कृतिक मशिरण और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों** के भय को लेकर क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय लोगों के लिये भूमि एवं नौकरी की सुरक्षा को लेकर **चिंताएँ व्यक्त कीं**।

आगे की राह

- **समयसीमा और चुनाव:** सर्वोच्च न्यायालय ने **सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का सुझाव** दिया है। मुख्य कार्यों में एक स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करना, **रसद और सुरक्षा चुनौतियों पर काबू** पाना तथा नष्पिक्ष चुनाव सुनिश्चित करना शामिल है।
 - राज्य की स्थिति में सुचारु रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिये **व्यापक राजनीतिक भागीदारी** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **सुरक्षा और मानवाधिकार:** नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किया जाए और शांति को बढ़ावा देने के लिये स्वतंत्र रूप से किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच की जाए।
- **आर्थिक और सामाजिक एकीकरण:** आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अवसंरचना में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय सेना द्वारा **'ऑपरेशन सद्भावना'** के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य और संवाद को बढ़ावा देने के साथ ही शेष शकियतों का समाधान किया जाना चाहिये।
 - राज्य में **सुलह परयासों की नींव** के रूप में **अटल बहारी वाजपेयी के कश्मीरयित** (कश्मीर की समावेशी संस्कृति), **इंसानयित** (मानवतावाद) और **जमहूरयित** (लोकतंत्र) के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
 - केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच **नरितर संचार के माध्यम से पारदर्शिता एवं विश्वास** बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **नगिरानी और अनुकूलन:** स्थिति की नरितर नगिरानी कर सफल संक्रमण सुनिश्चित करने के लिये फीडबैक के आधार पर नीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

Q. जम्मू और कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर अनुच्छेद 370 के नरिसत्करण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये। पछिले पाँच वर्षों में हुई प्रगत पर चर्चा करते हुए स्थायी शांति और एकीकरण के लिये शेष चुनौतियों का अभिनिरिधारण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. सियाचिन ग्लेशियर स्थिति है (2020)

- (a) अकसाई चनि के पूरव
- (b) लेह के पूरव
- (c) गलिगति के उत्तर
- (d) नुबरा घाटी के उत्तर

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति क्षेत्रों में से कौन-सा लोकसभा नरिवाचन क्षेत्र सबसे बडा (क्षेत्रफल के अनुसार) है? (2008)

- (a) कांगडा
- (b) लददाख
- (c) कच्छ
- (d) भीलवाडा

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न. भारतीय संवधिान का अनुच्छेद 370, जसिके साथ हाशिया नोट 'जममू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध' लगा हुआ है, कसि सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजयि। (2016)

प्रश्न. आंतरकि सुरक्षा खतरों तथा नयितरण रेखा सहति म्याँमार, बांग्लादेश और पाकस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का वशिलेषण कीजयि। वभिन्निन सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में नभिाई गई भूमिका की वविचना भी कीजयि। (2020)

प्रश्न. जममू और कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ.जी.डब्ल्यू.) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावति क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा नभिाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजयि। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को नषिप्रभावति करने के उपायों की चर्चा कीजयि। (2019)